

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 फरवरी 2021 — माघ 19, शक 1942

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-79/2020/वा.क.(पं.)/पांच(03).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 10, 74 एवं 75 सहपठित धारा 2 के खण्ड (26) तथा छत्तीसगढ़ स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाणपत्रों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संदाय) नियम, 2016 के नियम 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाणपत्रों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संदाय) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

- नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“(झ) “ई-स्टाम्प” से अभिप्रेत है स्टाम्प शुल्क के संदाय के द्योतन करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से पेपर पर छापित अथवा डिजिटल रूप से जनित स्टाम्प;”
- नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाये, अर्थात्:-
“डिजिटल रूप से जनित ई-स्टाम्प के आवेदन के लिए आवेदनकर्ता का डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर मान्य होगा।”
- नियम 23 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“(4) बीमा कंपनियों को एक से अधिक बीमा पालिसी के लिए समेकित रूप से एक ही ई-स्टाम्प जारी किया जा सकेगा।”
- यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-79/2020/वा.क.(पं.)/पांच(03).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-79/2020/वा.क.(पं.)/पांच(03) दिनांक 04-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.

Atal Nagar, the 4th February 2021

NOTIFICATION

No. F 10-79/2020/CT(R)/V(03).— In exercise of the powers conferred by Section 10, 74 and 75 read with clause (26) of Section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) and rules 57 of the Chhattisgarh Stamp (Payment of Duty by Means of e-Stamp Certificate) Rules, 2016, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Stamp (Payment of Duty by Means of e-Stamp Certificate) Rules, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (i) of sub-rule (1) of rule 2, the following shall be substituted, namely:-
“(i) “E-stamp” means a stamp printed or digitally generated, by electronic means to represent the payment of stamp duty;”
2. After rule 21, the following paragraph shall be added, namely:-
“In case of digital E-Stamp for the application, applicant’s digital signature/e-sign will be valid.”
3. After sub-rule(3) of rule 23, the following shall be added, namely:-
“(4) Insurance companies can be issued single E-stamp for more than one insurance policy in a consolidated manner.”
2. This notification shall come into force from the date of its publication in chhattisgarh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIRANJAN DAS, Secretary.